संख्याः18एम(6) /35-आ-1/2004-12

प्रेषक,

अमल कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

राज्य योजना आयोग-1

लखनऊः दिनाँक 17 जून, 2004

विषयः- गरीबी की रेखा हेतु आय सीमा का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे आपको यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित की जा रही योजनाओं में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों/परिवारों को अलग-अलग आय सीमा के आधार पर लाभान्वित किया जा रहा है। योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 के मूल्यों पर उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 331.40 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में रू. 425.76 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की आय का आंकलन किया गया है। अतः सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा आँकलित आय सीमा को 5 सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 19884/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में रू. 25546/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की वार्षिक आय सीमा माना जायेगा।

प्रदेश में जो योजनाएं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों/परिवारों को लाभान्वित करने हेतु संचालित हैं, उनमें यदि राज्य के सीमित संसाधनों के कारण समस्त पात्र व्यक्तियों/परिवारों को लाभान्वित करना सम्भव न हो तो लाभार्थियों की प्राथमिकता इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि न्यूनतम आय वालें लाभार्थी पहले लाभान्वित हों। जिन योजनाओं में लाभार्थियों की पात्रता हेतु कोई अन्य आय सीमा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है तो वह तब तक लागू रहेगी जब तक उसमें सक्षम स्तर से कोई परिवर्तन नहीं कर दिया जाता।

भवदीय,

(अमल कुमार वर्मा)

सख्याः18एम(6) /35-आ-1/2004-12 तददिनाक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष।
2- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
3- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी।
4- समस्त मण्डलायुक्त।
5- समस्त जिलाधिकारी।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
7- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
8- नियोजन विभाग/राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी।
9- नियोजन विभाग/राज्य योजना आयोग के समस्त अनुभाग।

(अमल कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव, नियोजन।